कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–49/2017 श्री आदित्य नारायण ठाकुर, बनाम पंचायत रोजगार सेवक,, मुखिया, तेजपुरवा, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर।

वाद का वर्णन

परिवादी श्री आदित्य नारायण ठाकुर, ग्राम पंचायत राज–तेजपुरवा, प्रखंड–पहाड़पुर, द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में मुखिया एवं कार्यक्रम पदाधिकारी की मिली भगत से मनरेगा योजना में रुपया की निकासी अवैध ढ़ग से कर ली गई है एवं योजनाएँ धरातल पर नहीं दिख रही है, जिसमें कुछ छोटे–छोटे योजनाओं का नाम मनरेगा के बेवसाईट से विवरणी की प्रति संलग्न की गई है।

कार्रवाई/अनुपालन

अतः उक्त परिवादी के आवेदन के आलोक में वाद दायर कर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी फलस्वरुप पचांयत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, पहाड़पुर द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि :–

1. योजना का नाम– वार्ड नं0 2 खैरवा प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य योजना सं0–06/16–17 प्राक्कलित राशि–37400.00रु0 मापीपुस्त की राशि 34504.00 रु0 योजना के प्राक्कलन के अनुसार ही ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई की गयी है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।
2. योजना का नाम–श्री श्रवण कुमार का मुर्गी शेड का निर्माण–प्राक्कलित राशि–45,000. 00रु0 मापीपुस्त की राशि –43892.00रु0
3. योजना का नाम–राजुकुमार सहनी का मुर्गी शेड निर्माण, प्राक्कलित राशि–45,000.00रु0 मापीपुस्त की राशि–43892.00रु0 एवं योजना कोड–20231646 है।
4. योजना का नाम–राजेन्द्र यादव के गाय शेड निमार्ण कार्य प्राक्कलित राशि 98000.00रु0 मापीपुस्त में दर्ज राशि –92685.00रु0 योजना कोड–20235676 है।
5. योजना का नाम–बासमति देवी के गाय शेड निर्माण कार्य प्राक्कलित राशि–98000.00रु0 मापीपुस्त में दर्ज राशि 92685.00रु0 योजना कोड–20235680 है।
6. योजना का नाम–इन्द्रजित यादव के गाय शेड निमर्ण कार्य प्राक्कलित राशि–98000.00 रु0 एवं मापीपुस्त की राशि मो0–92,685.00रु0

विचारणीय बिन्दु

1. क्या मनरेगा योजना में परिवादी द्वारा दी गई शिकायत सही है ?

निष्कर्ष / निर्णय

उपर्युक्त विभिन्न योजनाओं में लाभुक के निजी जमीन पर मॉडल प्राक्कलन के अनुसार मजदूरों द्वारा निर्माण किया गया, जिसमें लाभुक स्वंय भी मजदूर थे। योजना से संबंधित फोटों एवं बिडियों क्लीप की सी0डी0 कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है। योजना का मापी भी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा मापीपुस्त में की गई है। यह भी विदित है कि परिवादी भूतपूर्व मुखिया के भाई है। लाभुक एवं मजदूर द्वारा परिवाद नहीं किया गया है। परिवादी एक सुनवाई मे उपस्थित हुए और किसी वाद से संबंधित किसी भी प्रकार का साक्ष्य एवं गवाह उपस्थापित नहीं किया गया।

पंचाट (अधिनिर्णय)

उपर्युक्त वर्णित लेखा अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं कार्यक्रम पदाधिकारी इत्यादि के प्रतिवेदनों के आधार पर उक्त योजना में परिवादी द्वारा की गई शिकायत प्रमाणित नहीं हुआ है।

अतः वाद को निष्पादित किया जाता है।

ह0

लोकपाल(मनरेगा),

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 34 / दिनांक– 7-07-2018

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, पहाड़पुर / पं0रो0से0, तेजपुरवा एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

7/7/18

लोकपाल(मनरेगा)

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

O/C